UPGB010018442012

Presented on : 10.04.2012
Registered on : 10.04.2012
Decided on : 31.07.2026
Duration : 14 years, 03 months

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

उपस्थित : सुनील कुमार–I (एच0जे0एस0)–U.P.6075

(1) सत्र परीक्षण संख्या : 166 सन् 2012

उत्तर प्रदेश राज्य..**अभियोजन पक्ष।**

प्रति

1–सुशील नागर पुत्र श्री बाबूराम नागर,
2–यशपाल नागर पुत्र री बाबूराम नागर,
3–अजयपाल पुत्र श्री हरकरण,
4–महेन्द्र नागर पुत्र श्री नन्दराम,
5–बिजेन्द्र पुत्र श्री रामकरण,
6–दीपक पुत्र श्री अजयपाल,
7–भूमेश नागर पुत्र श्री गोकुल, समस्त निवासीगण ग्राम कचैड़ा, थाना बादलपुर, जिला गौतमबुद्धनगर।

....**अभियुक्तगण।**

मु0अ0सं0–301 / 2010
धारा–147,148,307 / 149,171च भा0दं0सं0
व धारा 7 कि0लॉ0ए0 एक्ट
थाना–बादलपुर, जिला–गौतमबुद्धनगर।

एवं

(2) सत्र परीक्षण संख्या : 167 सन् 2012

उत्तर प्रदेश राज्य................................बनाम..............................यशपाल नागर।
मु0अ0सं0–302 / 2010
धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–बादलपुर, जिला–गौतमबुद्धनगर।

निर्णय

(31.07.2026)

1. सत्र परीक्षण संख्या–166 / 2012, मु0अ0सं0–301 / 2010, थाना बादलपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर में अभियुक्तगण सुशील नागर, यशपाल

नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर का विचारण धारा–147,148,307/149,171च भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रि0लॉ0ए0 एक्ट के अन्तर्गत तथा सत्र परीक्षण संख्या 167/2012, मु0अ0सं0 302/2010, थाना बादलपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर में अभियुक्त यशपाल नागर का विचारण धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए किया गया।

2. उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही घटना से संबंधित होने के कारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 18.02.2013 के द्वारा उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण को समेकित कर एक साथ परीक्षण किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसमें सत्र परीक्षण संख्या 166/2012 को लीडिंग सत्रवाद बनाया गया है।

3. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अमित कुमार द्वारा दिनांक 25.10.2010 को समय 09:25 बजे थाना बादलपुर, जिला गौतमबुद्धनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 25.10.2010 को मैं एस0ओ0 अमित कुमार मय 431 राम किशन राणा व कां0 1266 प्रवीन कुमार मय जीप सरकारी यू0पी0 16 जी. 0221 मय चालक गुलाब सिंह राणा के थाने से बहवाले रपट नंबर 9 समय 6:35 बजे वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2010 में रवाना होकर ग्राम दुजाना होते हुए ग्राम कचैड़ा के पोलिंग बूथ पर पहुंचे, तभी उपनिरीक्षक वेदप्रकाश पंवार मय कां0 908 संजय कसाना व कां0 295 गुलाब सिंह मुतैना जी0डी0ए0 गाजियाबाद मय पीसीआर 20 मय चालक इन्द्रजीत सहित आ गये तो हम सब पुलिस वालों ने देखा कि पोलिंग बूथ के बाहर सड़क पुख्ता पर ग्राम कचैड़ा के ग्राम प्रधान प्रत्याशी सुशील नागर पुत्र बाबूराम नागर व उसका भाई यशपाल नागर, निवासी ग्राम कचैड़ा वारसाबाद व इसके 5–6 समर्थक एवं दूसरे प्रधान प्रत्याशी अजयपाल पुत्र हरकरण व इसके समर्थक महेन्द्र नागर पुत्र नन्दराम, बिजेन्द्र पुत्र रामू, दीपक पुत्र अजयपाल, भूमेश नागर पुत्र गोकुल, निवासीगण ग्राम कचैड़ा वारसाबाद व इसके 2–3 अज्ञात समर्थक अपने अपने पक्ष में मत डलवाने के लिए मौके पर आये मतदाताओं पर दबाव बना रहे थे तथा मतदाताओं को मतदान कराने के लिए धमकी दे रहे थे। मुझ एस0ओ0 द्वारा दोनों प्रधान प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों को समझाने का काफी प्रयास किया गया, परन्तु दोनों पक्ष नहीं माने और दोनों प्रधान पद के प्रत्याशी एवं उनके समर्थक आक्रोशित होकर कहने लगे कि यह हमारे गांव का मामला है, पुलिस को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, तभी प्रधान पद के प्रत्याशी सुनील नागर के भाई यशपाल नागर ने कहा पुलिस वाले पक्षपात कर रहे हैं और एकदम यशपाल नागर ने आवेश में आकर तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी एवं जनता के खड़े व्यक्तियों के ऊपर जान से मारने की नीयत से हल्ला बोलते हुए फायर कर दिया, जिससे हम पुलिस वाले एवं जनता के व्यक्ति बाल–बाल बचे। फायर होने से एकदम भगदड़ मच गयी तथा भय का माहौल पैदा हो गया तथा मौके पर आये मतदाता अपनी जान बचाकर इधर–उधर भागे, जिससे लोक व्यवस्था भंग हो गयी तथा यशपाल तमंचे सहित भागा। मुझ एस0ओ0 एवं हमराही पुलिस बल ने पीछा किया तो यशपाल प्राईमरी स्कूल की बाउण्ड्री के पास पैर फिसलने के कारण गिर गया, जिससे उसका सिर बाउण्ड्री बाल से टकरा गया तथा सिर में चोट आ

गयी। यशपाल को मय तमंचे सहित व उसके भाई सुशील नागर तथा अजयपाल व भूमेश नागर करीब 8:45 बजे सुबह पकड़ लिया तथा सुशील नागर एवं अजयपाल के शेष समर्थक मौके पर भीड़ का फायदा उठाकर भाग गये। यशपाल नागर के दाहिने हाथ से मिले देशी तमंचे 315 बोर को कब्जे में लेकर देखा गया तो इसकी नाल लोहा करीब 7 अंगुल लम्बी बॉडी लोहा करीब 4 अंगुल लम्बी बॉडी में नाल को खोलने व बंद करने के लिए साईड में खटका लगा है। बट करीब चार अंगुल लम्बा हेमर ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड लगा है, चालू हालत में नाल को खोलकर देखा गया तो नाल के अंदर एक खोखा कारतूस फंसा है, जिसे बाहर निकाला गया। नाल को खुदा सूंघा व हमराहियान को सूंघाया, तो नाल से ताजा चले कारतूस की बारूद की गंध आ रही है व पहने लोवर की दाहिनी जेब से एक जीवित कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। तमंचा, खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस को एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। अन्य गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सुशील नागर, अजयपाल, भूमेश नागर की जामा तलाशी ली गयी तो कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण एवं उनके भागे हुए साथी व्यक्तियों ने ग्राम कचैड़ा के मतदान केन्द्र पर अपने अपने पक्ष में मतदान कराये जाने के लिए मतदाताओं पर दबाव दिया तथा डरा धमकाकर मतदाताओं को प्रेश्रित किया। अभियुक्तगणों का यह कृत्य धारा 147,148,149,307,171ग भा0दं0सं0 व धारा 7 कि0लॉ0ए0 एक्ट व धारा 25 आयुध अधिनियम की हद को पहुंचता है। अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के निर्देशों का पूर्णतया पालन किया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना द्वारा उचित माध्यम से दी जायेगी। फर्द मुझ एस0ओ0 ने बोल बोलकर उपनिरीक्षक वेदप्रकाश पंवार से लिखवायी गयी। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से गवाही देने को कहा गया तो बुराई हो जाने के कारण कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। फर्द हमराहियान को पढ़कर सुनाकर गवाही करायी जाती है।

4. वादी मुकदमा एस0ओ0 अमित कुमार द्वारा दी गयी फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना—बादलपुर, जिला—गौतमबुद्धनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0—301/2010 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,171ग भा0द0सं0 व धारा 7 कि0लॉ0ए0 एक्ट अभियुक्तगण सुशील नागर, यशपाल नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर के विरूद्ध तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 302/2010 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधियिम अभियुक्त यशपाल नागर के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क—2 किता की गयी एवं कायमी मुकदमें का खुलासा जी0डी0 रपट सं0—14 समय 9.25 बजे दिनांक 25.10.2010 में किया गया। विवेचना क्रम में विवेचनाधिकारी द्वारा नकल चिक, नकल रपट कायमी मुकदमा अंकित की गयी। नक्शानजरी तैयार कर साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और बाद विवेचना विवेचक द्वारा संकलित सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण सुशील नागर, यशपाल नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर की अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क—5 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,171ग भा0द0सं0 व धारा 7 कि0लॉ0ए0 एक्ट तथा अभियुक्त यशपाल नागर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क—7 अंतर्गत धारा

25 आयुध अधिनियम में विचारण हेतु अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आरोपपत्र में वर्णित अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुये अभियुक्तगण सुशील नागर, यशपाल नागर, अजयपाल, महेन्द्र, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर का मामला बतौर आपराधिक वाद संख्या 91 / 2011 के रूप में पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त यशपाल नागर का ममला बतौर आपराधिक वाद संख्या 572 / 2011 के रूप में पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक पुलिस प्रपत्रों की छाया प्रतियां उपलब्ध करायी गयी और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होना पाते हुये अभियुक्तगण के विरूद्व पंजीकृत वाद परीक्षण हेतु दिनांक 19.03.2012 व 24.03.2012 को सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जिसे सत्र न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 166 / 2012 व सत्र परीक्षण संख्या 167 / 2012 के रूप में पंजीकृत किया गया। तदोपरान्त यह सत्र परीक्षण माननीय सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश से अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुए।

6. विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्तगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 18.02.2013 को अभियुक्तगण के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अभियुक्तगण सुशील नागर, यशपाल नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 147,148,307 / 149,171च भा0द0सं0 व धारा 7 कि0लॉ0ए0 एक्ट तथा अभियुक्त यशपाल के विरूद्व अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना की गयी।

7. अभियोजन की ओर से अपने कथन को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क0सं0	**पी0डब्लू0**	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का प्रकार**
1	पी0डब्लू0–1	वेदप्रकाश पंवार	फर्द गिरफ्तारी लेखक
2	पी0डब्लू0–2	कां0 रामकिशन राणा	गिरफ्तारी व बरामदगी का साक्षी
3	पी0डब्लू0–3	उपनिरीक्षक महेन्द्रपाल सिंह	चिक एफआईआर लेखक
4	पी0डब्लू0–4	निरीक्षक अमित कुमार	फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी का साक्षी
5	पी0डब्लू0–5	निरीक्षक सत्यवीर सिंह	विवेचक

8. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गये:–

क.सं.	**प्रदर्श का विवरण**	**प्रदर्श**	**जिससे साबित कराया गया**
1	फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–3
3	कार्बन जी0डी0	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–3

4	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–5
5	आरोप पत्र	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–5
6	जिला मजिस्ट्रेट का आदेश	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–5
7	आरोप पत्र	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–5

9. अभियोजन की ओर से वस्तु प्रदर्श के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैंः–

वस्तु प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	जिसके द्वारा सत्यापित किया गया
वस्तु प्रदर्श–1	तमंचा	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 वेदप्रकाश पंवार
वस्तु प्रदर्श–2	जिन्दा कारतूस	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 वेदप्रकाश पंवार
वस्तु प्रदर्श–3	खोखा कारतूस	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 वेदप्रकाश पंवार

10. अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को झूठा बताया।

अभियुक्त यशपाल द्वारा यह कथन किया गया कि गांव के प्रधानी चुनाव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स के कहने पर थाने गया था। उसने कोई फायर नहीं किया और न ही उससे कट्टा, खोखा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने नाराजगी व रंजिशन थाने पर सारी कार्यवाही कर झूठा मुकदमा बना दिया। वह निर्दोष है।

अभियुक्तगण सुशील नागर, महेन्द्र सिंह,, अजयपाल, दीपक नागर, बिजेन्द्र, भूमेश नागर द्वारा यह कथन किया गया कि गांव के चुनाव के लिए पुलिस फोर्स के कहने पर थाने गये थे। वहीं पुलिस ने नाराजगी व रंजिशन सारी कार्यवाही कर झूठा मुकदमा बना दिया। वे निर्दोष है।

अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा कुछ न कहने का कथन किया गया।

11. मैंने राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

12. पी0डब्लू0–1 उपनिरीक्षक वेदप्रकाश पंवार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 25.10.2010 को मैं थाना बादलपुर में बतौर एस.आई. तैनात था। उस समय मैं छपरौला पर बतौर इंचार्ज था। उस दिन मैं, एस.ओ. अमित कुमार, सिपाही रामकिशन राणा, प्रवीण कुमार, चालक गुलाब सिंह मय जीप सरकारी के गांव कचैड़ा के लिए बूथ पर पहुंचे। मैं भी सिपाही संजय कसाना व गुलाब सिंह के साथ, जो जी.डी.ए. गाजियाबाद में तैनात थे तथा पी.सी.आर. 20 पर मौजूद थे। हम सब लोग जब गांव कचैड़ा के पुलिस बूथ के बाहर सड़क पुख्ता पर पहुंचे तो हमने देखा कि ग्राम कचैड़ा के प्रधान पद के प्रत्याशी सुशील नागर, उसका भाई यशपाल नागर व उसके पांच–छः समर्थक गांव के दूसरे प्रधान प्रत्याशी अजयपाल व उसके समर्थक महेंद्र नागर, बिजेंद्र, दीपक, भूमेश नागर व उनके 2–3 अज्ञात समर्थक अपने

अपने पक्ष में मत डलवाने के लिए मतदाताओं पर दबाव बना रहे थे तथा अपने पक्ष में मतदान देने के लिए धमकी दे रहे थे। हमने काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि हमारा गांव का मामला है। पुलिस दखल न करे। तभी यशपाल नागर ने कहा कि पुलिस वाले पक्षपात कर रहे हैं और उसने अपनी अन्टी से तमंचा निकाल कर हम पुलिस वालों व जनता के व्यक्तियों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे हम पुलिस वाले व जनता के लोग बाल–बाल बचे। फायर होने से भगदड़ मच गई। हम पुलिसवालों ने यशपाल नागर को पकड़ने की कोशिश की। भाग दौड़कर प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री के पास यशपाल नागर का पैर फिसल गया जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया तथा उसके सिर में चोट आ गयी। हमने वक्त ना गंवाते हुए यशपाल नागर को मय तमंचे के पकड़ लिया तथा उसके भाई सुशील नागर, अजयपाल व भूमेश नागर को करीब पौने नौ बजे सुबह पकड़ लिया। यशपाल नागर के पास से मिले 315 बोर के तमंचे को खोलकर देखा तो नाल में एक खोखा फंसा था। तमंचे से ताजा चले की गंध आ रही थी। उसके जेब से एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अन्य किसी से कोई नाजायज शस्त्र बरामद नहीं हुआ। गिरफ्तारी की फर्द मौके पर एस.ओ. अमित कुमार के बोलने पर लिखी थी। लिखकर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे। अन्य कर्मचारियों के भी हस्ताक्षर कराये थे। बरामदगी की फर्द की नकल सभी की सहमति से अभियुक्त सुशील को दी थी। फर्द बरामदगी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करता हूं, इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। न्यायालय की अनुमति से एक सील बंद पुलिंदा रूबरू अदालत खोला गया, जिसमें से एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस 315 बोर निकले, जिन्हें देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तमंचा व कारतूस है जो मौके पर अभियुक्त यशपाल से बरामद हुए थे। तसदीक करता हूं। तमंचे पर वस्तु प्रदर्श–1, जिंदा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 2 व खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 3 डाला गया।

13. **पी0डब्लू0–2 कां0 रामकिशन राणा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 25.10.2010 को मैं थाना बादलपुर पर बतौर कांस्टेबल तैनात था। उस दिन मैं एस.ओ. अमित कुमार के साथ चुनाव ड्यूटी में ग्राम कचैड़ा गया था। वहां हमें एस.आई. वेदप्रकाश पवार भी पुलिस बल के साथ मिले थे। जब हम लोग गांव कचैड़ा के पोलिंग बूथ के पास सड़क पर पहुंचे तो हमने देखा कि ग्राम प्रधान पद के दोनों प्रत्याशी अपने–अपने पक्ष में मतदान करने हेतु डरा धमका रहे थे। जब हमने उन्हें समझाने की कोशिश की तो दोनों पक्ष नहीं माने और कहने लगे कि पुलिस हमारे बीच दखल न दे। उसी समय प्रधान पद के प्रत्याशी सुशील नागर के भाई यशपाल नगर ने कहा कि पुलिसवाले पक्षपात कर रहे हैं और यशपाल नागर ने अपने अंटी से तमंचा निकालकर पुलिसवालों व गांव वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। फायर होने से भगदड़ मच गई। हम पुलिस वाले व गांव वाले बाल–बाल बचे। उस समय सुबह के पौने नौ बजे थे। हमने यशपाल नागर को पकड़ने की कोशिश की तो भागने लगा तथा प्राइमरी स्कूल की दीवार से टकराकर घायल हो गया, जिसे हमने तुरंत तमंचे सहित पकड़ लिया। तमंचा चालू हालत में था, ताजे चले कारतूस की गंध आ रही थी। यशपाल के पास से एक 315 बोर का जिंदा

कारतूस बरामद हुआ था। बरामद तमंचा व कारतूस को एक कपड़े में रखकर सील मुहर किया गया था। फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी एस.ओ. के बोलने पर एस.आई. वेदप्रकाश पवार ने लिखी थी। जिस पर हम सभी कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराये गये थे। गवाह ने शामिल पत्रावली प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की। जिस पर पहले से ही प्रदर्श क–1 पड़ा है। अभियुक्त से बरामद तमंचा व कारतूस हाजिर अदालत है। शिनाख्त करता हूं इस पर पहले से ही वस्तु प्रदर्श 1 ता 3 पड़ा है।

14. **पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक महेन्द्र पाल सिंह** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 25.10.2010 को मैं थाना बादलपुर में बतौर प्रधान लेखक के पद पर तैनात था। उस दिन एस.एच.ओ. अमित कुमार, कां0 रामकिशन राणा व कां0 प्रवीण कुमार मय जीप सरकारी यू.पी. 16जी. 0221 मय चालक गुलाब सिंह राणा देखरेख शांति व्यवस्था ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2010 में रवाना होकर ग्राम दुजना होते हुए ग्राम कचैड़ा के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहीं एस.आई. श्री वेदप्रकाश पवार मय कां0 संजय कसाना व कां0 गुलाब सिंह जीडीए गाजियाबाद मय पी.सी.आर. 20 मय चालक इंदरजीत सहित आ गये तो हम सब पुलिसवालों ने देखा कि पोलिंग बूथ के बाहर सड़क पुख्ता पर ग्राम कचैड़ा के ग्राम प्रधान प्रत्याशी सुशील नागर पुत्र बाबूराम व उसका भाई यशपाल नागर व इनके पांच–छः समर्थक एवं दूसरे प्रधान प्रत्याशी अजयपाल पुत्र हरकरण व उसके समर्थक महेंद्र नागर पुत्र नन्दराम, बिजेंद्र पुत्र रामू, दीपक पुत्र अजयपाल, उमेश नागर पुत्र गोकुल व उनके दो तीन अज्ञात समर्थक अपने–अपने पक्ष में मत डलवाने के लिए मौके पर आए। मतदाताओं पर दबाव बना रहे थे तथा मतदाताओं को मतदान कराने के लिए धमकी दे रहे थे। एस0ओ0 साहब द्वारा दोनों प्रधान प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों को समझाने का प्रयास किया, परंतु दोनों पक्ष नहीं माने। दोनों प्रधान पद के प्रत्याशी और उनके समर्थक आक्रोशित होकर कहने लगे कि यह हमारे गांव का मामला है, पुलिस कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधान पद के प्रत्याशी सुशील नागर के भाई यशपाल नागर ने कहा कि पुलिस वाले पक्षपात कर रहे हैं और एकदम यशपाल नागर ने आवेश में आकर तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी एवं जनता के खड़े व्यक्तियों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिसमें हम पुलिस वालों एवं जनता के व्यक्ति बाल–बाल बचे। फायर होने से एकदम भगदड़ मच गयी तथा भय का माहौल पैदा हो गया। इस वाकये की प्रथम सूचना रिपोर्ट व फर्द मौके पर एस.ओ. द्वारा बोलने पर एस.आई. वेदप्रकाश द्वारा तैयार की गयी। बरामद माल को सील सर्वे मोहर कर घटनास्थल पर हीं तैयार की थी। मैंने नकल फर्द चिक हाजा पर शब्द व शब्द अंकित की गयी। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या 4ए/1 व 2 को देखकर कहा कि यह चिक एफ.आई.आर. मेरे द्वारा ही किता की गयी थी। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है तस्दीक करता हूं। इस प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। रोजनामचा आम में नकल रपट संख्या 14 समय 9.25 ए.एम. पर मुकदमा का खुलासा मेरे हस्तलेख में किया गया। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या 7बी/3 ता 7बी/4 तक तक मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जो असल की सही कार्बन प्रति है तस्दीक करता हूं इस पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया।

15. **पी0डब्लू0–4 निरीक्षक अमित कुमार** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि दिनांक 25.10.2010 को मेरी तैनाती बतौर एस.ओ. थाना बादलपुर पर थी। दिनांक 25.10.10 को मैं व कां0 रामकिशन राणा, कां0 प्रवीण कुमार सरकारी जीप मय चालक गुलाब सिंह राणा थाना से रपट संख्या 9 समय 6.35 बजे थाने से रवाना होकर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था व सब ग्राम पंचायत निर्वाचन वर्ष 2010 में रवाना होकर ग्राम दुजाना होते हुए ग्राम कचैड़ा के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहाँ पर एस.आई. वेद प्रकाश पवार मय कां0 संजय कसाना व कां. गुलाब सिंह पी.सी.आर. 20 के चालक इंद्रजीत भी आ गए। हम पुलिस वालों ने देखा कि बूथ के बाहर सड़क पुश्ता पर गांव कचैड़ा के ग्राम प्रधान प्रत्याशी सुशील नागर व भाई यशपाल निवासी ग्राम कचैड़ा व दूसरे ग्राम प्रधान प्रत्याशी अजयपाल व उसके समर्थक महेंद्र नागर, दीपक, भूपेश व बिजेंद्र व अन्य अज्ञात व्यक्ति अपने अपने पक्ष में मत डलवाने के लिए पोलिंग बूथ पर आये और मतदाताओं पर दबाव बनाकर अपने–अपने पक्ष में मत डलवाने का प्रयास करने लगे। दोनों प्रधान पद के प्रत्याशी व उनके समर्थक आक्रोशत होकर आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि ये पुलिस वाले कहां से आ गये। आक्रोशित होकर यशपाल नागर ने हम पुलिसवालों के ऊपर व वहां खड़े लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। वहाँ पर भगदड़ मच गयी व भय का माहौल बन गया, तभी यशपाल स्कूल की तरफ भागने लगा और स्कूल की बाउंड्री से टकराकर गिर गया। हम पुलिसवालों ने यशपाल को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद नाम पता पूछा व जामातलाशी ली, जिसने अपना नाम यशपाल नागर पुत्र बाबूराम बताया। जामा तलाशी में दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ देशी तमंचा। उसे सूंघकर देखा गया जिससे चले हुए ताजा बारूद की गंध की महक आ रही थी। दाहिनी जेब से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। देशी तमंचे को खोलकर देखा गया जिसमें खोखा फंसा हुआ था। उसी समय सुशील नागर, अजयपाल व भूपेश नागर को पकड़ लिया। मौके पर फर्द तैयार की गयी व माल को सील मोहर किया गया। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी का समय 8.45 बजे सुबह था। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया गया। फर्द मेरे बोलने पर एस.आई. वेदप्रकाश द्वारा लिखी गयी थी। फर्द की प्रति अभियुक्तों को दी गयी थी। अभियुक्तों के हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 4ए/3 ता 4ए/1 दाखिल है जो एस.आई. वेदप्रकाश के हस्तलेख में है, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है जो पी.डब्ल्यू. 1 द्वारा प्रदर्श क–1 के रूप में साबित की जा चुकी है, मैं भी साबित करता हूं। निरीक्षक द्वारा मेरे बयान लिये गये थे। मैंने सारी बात बता दी थी।

16. **पी0डब्लू0–5 निरीक्षक सत्यवीर सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 25.10.2010 को मेरी तैनाती बतौर उपनिरीक्षक चौकी प्रभारी, बादलपुर, थाना बादलपुर पर तैनात था। थाने पर एक मुकदमा, मु.अ.स. 301/2010 अंतर्गत धारा 147,148,149,307,171ग भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रि0 लॉ0 अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना थाने से मुझे प्राप्त हुई। सीडी पर्चा 1 दिनांक 25.10.2010 नकल फर्द बरामदगी नकल किया। नकल रपट, नकल चिक, बयान एप.आई. आर. लेखक एच.एम. महेंद्र पाल सिंह, बयान अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, भूमेश नागर व बयान अभियुक्त यशपाल नागर के बयान

अंकित किये। अभियुक्त यशपाल नागर की एम.एल.सी. प्राप्त की व इंग्लिश सी.डी. नकल कर किता किया गया। सीडी पर्चा 2 दिनांक 26.10.10 बयान वादी एस.ओ. श्री अमित कुमार के बयान अंकित किये सीडी किता किया गया। सीडी पर्चा 3 दिनांक 27.10.10 वादी की निशांदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया गया, नक्शा नजरी तैयार की गयी जो पत्रावली पर कागज संख्या 5ए/1 दाखिल है, मेरे हस्तलेख में है, प्रमाणित करता हूं, इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। सफाई साक्ष्य श्रीपाल व विकल के बयान अंकित कर सीडी किता किया गया। सीडी पर्चा 4 दिनांक 04.11.2010 शेष अभियुक्तगण दबिश नहीं मिले। मुखबिर हिदायत कर सीडी किताकिया गया। सीडी पर्चा 5 दिनांक 16.11.10 बयान गवाह उपनिरीक्षक वेदप्रकाश पवार के बयान अंकित कर सीडी किता किया गया। सीडी पर्चा 6 दिनांक 29.11.2010 बयान गवाह कां. रामकिशन, कां0 प्रवीण कुमार, कां0 संजय कसाना, कां0 गुलाबसिंह के बयान अंकित कर सीडी किता किया गया। सीडी पर्चा 7 दिनांक 30.11.10 नकल रोबकार अभियुक्त महेंद्र नागर, विजेंद्र नागर, दीपक का रोबकार प्राप्त। नकल की गयी। बयान अभियुक्त महेंद्र नागर, विजेंद्र, दीपक के बयान अंकित किये। संपूर्ण साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 147,148,149,307,171ग आई.पी.सी. व 7 सी.एल.ए. एक्ट आरोप पत्र मु0अ0सं0 301/010 आरोप पत्र संख्या 147/2010 तैयार किया गया जो पत्रावली पर कागज संख्या 3ए/1 दाखिल है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षरित है प्रमाणित करता हूं, इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

दिनांक 25.10.2010 को मेरी तैनाती बतौर एस.आई. थाना बादलपुर पर थी। थाने पर मुकदमा, मु.अ.स. 301/2010 अंतर्गत धारा 147,148,149,307,171ग आई.पी.सी. व 7 सी.एल.ए. एक्ट व मु0अ0सं0 302/2010 अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट सरकार बनाम सुशील नागर आदि पंजीकृत हुए, जिनकी विवेचना थाने से मुझे प्राप्त हुई। सीडी पर्चा 1 विवेचना ग्रहण की। फर्द नकल तमंचा 315 बोर नकल किया गया। मेरे द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया था, जो मूल एस.टी. 166/12 पर दाखिल है। एस.टी. 167/12 सरकार बनाम यशपाल नागर अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट पर दाखिल कागज संख्या 4ए/1 एफ.आई.आर. जो असल की फोटोकॉपी है, जिसको पी.डब्ल्यू. 3 द्वारा प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया जा चुका है। पत्रावली पर कागज 5ए/1 व 5ए/2 पूर्व में साबित किये जा चुके हैं। एस.टी. 167/12 पर दाखिल कागज संख्या 7ए/1 अभियोजन अनुमति दाखिल है जो कंप्यूटर टाइपसुदा जो जिला मजिस्ट्रेट दीपक अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित है। मैं भी प्रमाणित करता हूं इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। संपूर्ण साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोप पत्र संख्या 148/2010, 25 आर्म्स एक्ट सरकार बनाम यशपाल नागर न्यायालय को पेश की गयी जो पत्रावली 167/12 पर दाखिल कागज संख्या 3ए/1 दाखिल है मेरे हस्तलेख में है प्रमाणित करता हूं इस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

17. **डी0डब्लू0–1 यशपाल** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि हमारे गांव कचैड़ा में दिनांक 25.10.10 को ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में मेरे बड़े भाई सुशील नागर प्रधानी पद के उम्मीदवार थे तथा प्रतिद्वंदी के रूप में अजयपाल भी प्रधानी पद के उम्मीदवार थे। मतदान के समय मतदान केंद्र पर कम पुलिस फोर्स थी। चुनाव निष्पक्ष हो कोई धांधली न हो, मैं इस बात को लेकर थाना

बादलपुर गया था तथा वहां जाकर थानेदार अमित कुमार एस.ओ. से मतदान केंद्र पर निष्पक्ष मतदान के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजने के लिए कहा था। अमित कुमार जी मुझ पर भड़क गये तथा मेरे साथ मारपीट कर मुझे थाने में बंद कर दिया। थाने मेरे साथ गांव के कुछ लोग भी गये थे, जिन्होंने गांव में मेरे बारे में सूचना दी तो गांव से प्रधानी पद के उम्मीदवार समर्थक पहुंच गये थे। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए हम पर झूठी एफ.आई.आर. लिखकर हमें जेल भेज दिया। मैंने पुलिस को कट्टा, खोखा कारतूस बरामद नहीं कराया गया और न ही मेरे द्वारा किसी को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। एस.ओ. अमित कुमार ने थाने में ही बैठकर सारी लिखापढ़ी की थी। जो घटना हुई ही नहीं थी, हमें उसमें आरोपी बना दिया गया। एस. ओ. अमित कुमार लोगों पर फर्जी मुकदमें बनाकर अपने डिपार्टमेंट में वाहवाही व धन एकत्रित करते हैं। गांव जानसिमाना के अजब सिंह पुत्र कर्मवीर ने इन के खिलाफ कोर्ट में भी मुकदमा किया था। एस.ओ. अमित कुमार ने पुलिस के साथ मिलकर मेरे साथ हुई मारपीट की घ टना से बचने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी थी। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। एस.ओ. अमित कुमार ने प्रधान पद के प्रत्याशी मेरे भाई सुशील नागर व दूसरे प्रधान पद के प्रत्याशी अजयपाल व समर्थक भूमेश, महेंद्र,दीपक, बिजेंद्र, को भी मेरे साथ थाने में बंद कर झूठा मुकदमा हम सबके खिलाफ लिखवा दिया।

18. डी0डब्लू0—2 अजयपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 25.10.10 को हमारे गांव कचैड़ा वारसाबाद में प्रधानी पद के लिए चुनाव था जिसमें मैं प्रधान पद का प्रत्याशी था। दूसरी ओर से सुशील नागर प्रधान पद का प्रत्याशी था। मैं अपने साथ गांव के अन्य लोगों को लेकर थाना बादलपुर पर चुनाव में अतिरिक्त फोर्स के लिए थाना बादलपुर गया था। वहां पर प्रधान पद के दूसरे प्रत्याशी सुशील नागर व उसके भाई यशपाल को पुलिस ने थाने में बंद कर रखा था। मेरे थाने पहुंचते ही थानाध्यक्ष अमित कुमार भड़क गये तथा मुझसे व अन्य लोगों से गाली गलौज की तथा मुझे व मेरे साथ गये भूमेश, विजेंद्र, महेंद्र व दीपक को थाने में बंद कर दिया तथा हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लिखवा दिया। एस.ओ. अमित कुमार द्वारा समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की गयी। मैंने व भूमेश, विजेंद्र, महेंद्र, दीपक ने कोई घ टना कारित नहीं की। हम निर्दोष हैं।

19. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा कारित किया गया तथा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए भयभीत व प्रभावित किया गया तथा पोलिंग बूथ पर अवैध वोट डलवाने का प्रयत्न करते हुए अभियुक्त यशपाल नागर द्वारा पुलिस बल व जनता के लोगों पर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्र से फायर किया गया, उसे मौके से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त यशपाल नागर के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, नाल में खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

20. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। उक्त घटना में पुलिस अथवा जनता के किसी सदस्य को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है। अभियुक्त यशपाल नागर के पास से कोई बरामदगी नहीं की गयी है, जो भी बरामदगी दिखायी गयी है, वह फर्जी रूप से प्लान्ट की गयी है। सभी साक्षी पुलिस के साक्षी हैं, जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त यशपाल नागर के हाथों से परीक्षण हेतु बारूद के कण नहीं लिये गये। मौके से चली हुई गोली बरामद नहीं की गयी। तमंचे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण नहीं कराया गया कि वह चालू हालत में था अथवा नहीं। बचाव साक्षी डी0डब्लू0–1 अभियुक्त यशपाल नागर तथा डी0डब्लू0–2 अभियुक्त अजयपाल की साक्ष्य से अभियोजन कथानक का खण्डन होता है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

21. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध व सम्बन्धित विधि के विधिक प्रावधान निम्नवत् हैः–

धारा 147 भा0दं0सं0–बल्वा करने के लिए दण्ड–जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 148 भा0दं0सं0–घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना–जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 149 भा0दं0सं0–विधिविरूद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए अपराध का दोषी–यदि विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

धारा 307 भा0द0सं0–**हत्या करने का प्रयत्न–** जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुमनि से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

धारा 171च भा0दं0सं0–निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड–जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

<u>धारा 25. आयुध अधिनियम</u>–(1) जो कोई–

(क) धारा 5 के उल्लंघन में किसी भी आयुध या गोलाबारूद का विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उसे विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्षित या प्रतिस्थापित करेगा या विक्रय, अन्तरण, सम्परिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा; अथवा

(ख) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्न्यायुध की नाल को छोटी करेगा या नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करेगा; अथवा

(ग) ....

(घ) धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आुयध या गोलाबारूद को भारत लायेगा या भारत के बाहर ले जायेगा,

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी। अधिनियम क्रम संख्या–48 सन् 2019, धारा–9(1)ग द्वारा दिनांक 14.12.2019 जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(1ख) जो कोई–

(क) धारा 3 के उल्लंघन में कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा; अथवा

(ख) धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी स्थान में ऐसे वर्ग या वर्णन के, जैसा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, कोई भी आयुध उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा; या

(ग)................

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी। अधिनियम क्रम सं0 48 सन् 2019 धारा 9(5)क द्वारा दिनांक 14.12.2019 से दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

........................''

22. प्रस्तुत प्रकरण में देखना यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण सुशील नागर, यशपाल नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147,148,307/149,171च भा0दं0सं0 व अभियुक्त यशपाल नागर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 25 अधिनियम के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है? अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने में भी अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह अपने कथन के समर्थन में स्पष्ट एवं निरूत्तर साक्ष्य प्रस्तुत करे।

23. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 वेदप्रकाश पंवार उपनिरीक्षक घटना के प्रमुख पत्यक्षदर्शी तथा गिरफ्तारी एवं बरामदगी के साक्षी हैं। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव के दिन वह ग्राम कचैड़ा में पुलिस बल के साथ ड्यूटी पर उपस्थित थे। ग्राम कचैडा

के प्रधान पद के प्रत्याशी सुशील नागर, उसका भाई यशपाल नागर व उसके 5–6 समर्थक गांव के दूसरे प्रधान प्रत्याशी अजयपाल व उसके समर्थक महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक, भूमेश नागर व उनके 2–3 अज्ञात समर्थक अपने–अपने पक्ष में मत डलवाने के लिए मतदाताओं पर दबाव बना रहे थे तथा अपने पक्ष में मतदान देने के लिए धमकी दे रहे थे। साक्षी के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया, परन्तु वे नहीं माने और कहने लगे कि गांव का मामला है, पुलिस दखल न करे। इसी दौरान अभियुक्त यशपाल नागर ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और अपनी अंटी से तमंचा निकालकर पुलिस कर्मियों एवं वहां उपस्थित लोगों की ओर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे पुलिस वाले व जनता के लोग बाल–बाल बचे। फायर होने से भगदड़ मच गयी। पुलिस वालों ने यशपाल नागर को पकड़ने की कोशिश की। यशपाल नागर भागा, जिससे वह विद्यालय की दीवार से टकराकर गिर गया और उसके सिर में चोट आयी। उसे मौके पर पकड़ लिया गया, उसकी अंटी से 315 बोर का एक तमंचा एवं जेब से एक जिन्दा कारतूस मिला। तमंचे की नाल में एक खोखा कारतूस फंसा हुआ था। इस साक्षी ने फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी फर्द को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस को देखकर कहा कि यह वही तमंचा व कारतूस हैं, जो मौके पर अभियुक्त यशपाल से बरामद हुए थे, जिन्हें इस साक्षी द्वारा तमंचा वस्तु प्रदर्श–1, जिन्दा कारतूस वस्तु प्रदर्श–2 व खोखा कारतूस वस्तु प्रदर्श–3 के रूप में साबित किया गया है।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में घटना की दूरी, गोली के प्रभाव, सील व स्वतंत्र गवाहों और उसके पुलिस बयान में विलम्ब के संबंध में प्रश्न पूछे गये। उसने स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और घटना स्थल से कोई गोली बरामद नहीं हुई थी। उसने यह भी कहा कि घटना स्थल पर काफी भीड़ थी और फायर होते ही भगदड़ मच गयी। साक्षी द्वारा घटना के वर्षों बाद अपनी स्मृति ताजा करने के लिए अभिलेख देखने की बात को बचाव पक्ष ने उसकी विश्वसनीयता के विरूद्ध प्रयोग करने का प्रयास किया है। न्यायालय की दृष्टि में घटना और गवाही के बीच पर्याप्त समय व्यतीत होने पर किसी सरकारी साक्षी का अपने अभिलेख से स्मृति ताजा करना अस्वाभाविक नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने न्यायालय में मूल घटना, अभियुक्त की भूमिका, गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में स्पष्टतः सुसंगत कथन किया है। उसकी जिरह में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभाष सामने नहीं आया, जिससे यह सिद्ध हो कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था, यशपाल को उसने फायर करते नहीं देखा, यशपाल मौके से नहीं पकड़ा गया, तमंचा एवं कारतूस किसी अन्य स्थान से लाकर आरोपित किये गये। गोली का न मिलना अथवा किसी व्यक्ति को चोट न लगना, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को नष्ट नहीं करता। देशी तमंचे से चलाया गया कारतूस लक्ष्य से चूक सकता है। भगदड़ और खुले स्थान के कारण गोली प्रक्षेप्य प्राप्त न होना भी असम्भव परिस्थिति नहीं है।

यह साक्षी घटना का स्वाभाविक साक्षी है, उसकी चुनाव ड्यूटी मौके पर थी, अभियुक्त से उसकी कोई पूर्व व्यक्तिगत शत्रुता प्रमाणित नहीं हुई है। उसका कथन घटना की मूल संरचना पर स्थित रहा। उसके साक्ष्य को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह पुलिस अधिकारी है। अतः इस साक्षी की साक्ष्य को

अभियुक्त यशपाल नागर द्वारा जान से मारने हेतु फायर करने, मौके से पकड़े जाने और उसके कब्जे से तमंचा एवं कारतूस बरामद होने के संबंध में विश्वसनीय पाया जाता है।

24. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 रामकिशन राणा ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 25.10.2010 को प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार के साथ चुनाव ड्यूटी में ग्राम कचैड़ा गया था। वहां उसे उपनिरीक्षक वेदप्रकाश पंवार भी पुलिस बल के साथ मिले थे। ग्राम प्रधान पद के दोनों प्रत्याशी अपने–अपने पक्ष में मतदान करने हेतु धमका रहे थे। पुलिस द्वारा समझाने पर उन लोगों ने कहा कि पुलिस हमारे बीच में दखल न दे और उसी समय यशपाल नागर ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपनी अंटी से तमंचा निकालकर पुलिस वालों व गांव वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। फायर होने से भगदड़ मच गयी। यशपाल को पकडने की कोशिश की तो वह भागने लगा और दीवार से टकराकर घायल हो गया, जिससे तमंचे सहित पकड़ लिया। तमंचा चालू हालत में था। ताजे चले कारतूस की गंध आ रही थी। यशपाल के पास से एक 315 बोर का जिन्दा कारतूस भी बरामद हुआ। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त से बरामद न्यायालय में प्रस्तुत तमंचा व कारतूस की शिनाख्त की।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह घटना से पहले सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। यह स्वीकारोक्ति उसकी सत्यनिष्ठा को कम नहीं करती, बल्कि यह दर्शाती है कि उसने बढा चढ़ाकर यह दावा नहीं किया कि वह प्रत्येक अभियुक्त से पूर्व से परिचित था। उसने कहा कि बरामद वस्तुओं का पुलिंदा बनाया गया। उस पर संबंधित अधिकारयों एवं अभियुक्तों के हस्ताक्षर कराये गये। सील के विवरण के संबंध में पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के कथनों में कुछ अंतर है। घटना के अनेक वर्षों बाद सील के अक्षरों अथवा विवरण को ठीक ठीक याद न रख पाना एक स्वाभाविक विस्मृति है। मूल तथ्य यह है कि दोनों ने मौके पर फर्द बरामदगी तैयार किये जाने तथा माल सील किये जाने का समर्थन किया है।

उसके पुलिस बयान में विलम्ब का प्रश्न भी उठाया गया। विवेचना में विलम्ब आदर्श स्थिति नहीं है, किन्तु केवल विवेचक की त्रुटि के आधार पर विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय को यह देखना होता है कि विलम्ब के कारण साक्षी की न्यायालय में दी गयी गवाही में कोई कृत्रिम सुधार या असंगति उत्पन्न हुई या नहीं। प्रस्तुत मामले में घटना का मूल विवरण सभी प्रमुख साक्षियों में एकरूप है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 ने अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 के कथन की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है। वह उसी पुलिस दल का सदस्य था, किन्तु केवल इस आधार पर उसे हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता। पुलिस कर्मी का कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होना उसकी गवाही को स्वाभाविक बनाता है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य अभियुक्त यशपाल द्वारा जान से मारने हेतु फायर करने, भागने, मौके पर पकडे जाने और उसके कब्जे से तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद होने के संबंध में विश्वसनीय पाया जाता है।

25. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक महेन्द्रपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में लिखित तहरीर प्राप्त होने, चिक प्राथमिकी

तैयार किये जाने तथा सामान्य दैनिकी में मुकदमा पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। उसका साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है, परन्तु घटना के बाद पुलिस दल के थाने पहुंचने और मुकदमा पंजीकृत होने की निरन्तरता स्थापित करता है।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कुछ कॉलम, हस्ताक्षरों तथा समय अंकित किये जाने के संबंध में प्रश्न किये गये, ऐसी प्रपत्रीय कमियां तब तक मूल अभियोजन कथानक को प्रभावित नहीं करती, जब तक कि यह प्रदर्शित न हो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व समय में लिखी गयी, उसमें जानबूझकर परिवर्तन किया गया अथवा अभियुक्त को अनुचित रूप से फंसाने के लिए उसका निर्माण किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना, स्थान, अभियुक्त यशपाल द्वारा फायर तथा उसकी गिरफ्तारी और बरामदगी का उल्लेख मूल प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के अनुरूप है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन के कथन को तत्कालिक पुष्टि प्रदान करती है।

26. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 अमित कुमार प्रभारी निरीक्षक घटना के सूचनाकर्ता एवं प्रत्यक्षदर्शी हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि पुलिस वालों ने देखा कि बूथ के बाहर सड़क पुश्ता पर गांव कचैड़ा के ग्राम प्रधान प्रत्याशी सुशील नागर व भाई यशपाल एवं दूसरे ग्राम प्रधान प्रत्याशी अजयपाल व उसके समर्थक महेंद्र नागर, दीपक, भूपेश व बिजेंद्र व अन्य अज्ञात व्यक्ति अपने अपने पक्ष में मत डलवाने के लिए पोलिंग बूथ पर आये और मतदाताओं पर दबाव बनाकर अपने–अपने पक्ष में मत डलवाने का प्रयास करने लगे। दोनों प्रधान पद के प्रत्याशी व उनके समर्थक आक्रोशत होकर आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि ये पुलिस वाले कहां से आ गये। आक्रोशित होकर यशपाल नागर ने हम पुलिसवालों के ऊपर व वहां खड़े लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। वहाँ पर भगदड़ मच गयी व भय का माहौल बन गया। तभी यशपाल स्कूल की तरफ भागने लगा और स्कूल की बाउंड्री से टकराकर गिर गया। पुलिसवालों ने यशपाल को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद नाम पता पूछा व जामातलाशी ली, जिसने अपना नाम यशपाल नागर बताया। जामा तलाशी में दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ देशी तमंचा बरामद हुआ, जिसे सूंघकर देखा गया जिससे चले हुए ताजा बारूद की गंध की महक आ रही थी। दाहिनी जेब से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। देशी तमंचे को खोलकर देखा गया जिसमें खोखा फंसा हुआ था। उसी समय सुशील नागर, अजयपाल व भूपेश नागर को पकड़ लिया। मौके पर फर्द तैयार की गयी व माल को सील मोहर किया गया।

प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष ने इस साक्षी को यह सुझाव दिया कि वास्तविक घटना थाने पर हुई थी, जहां पर अभियुक्त यशपाल अतिरिक्त पुलिस बल मांगने आया था और पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी। साक्षी ने इस सुझाव का स्पष्ट रूप से खण्डन किया है। किसी गवाह को दिया गया सुझाव स्वयं साक्ष्य नहीं होता। बचाव पक्ष को कम से कम ऐसी विश्वसनीय परिस्थिति प्रस्तुत करनी थी, जिससे यह संभावित प्रतीत हो कि यशपाल मतदान केन्द्र पर नहीं था, वह उसी समय थाने पर उपस्थित था, थाने के अभिलेख में उसका आगमन दर्ज हुआ, उसने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की एवं उसे पुलिस ने थाने पर रोका या घायल किया। ऐसा कोई स्वतंत्र अभिलेख, दूरभाष विवरण,

जी0डी0 प्रविष्टि अथवा निष्पक्ष साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। यशपाल को चोटिल होने की परिस्थिति अभियोजन द्वारा छुपाई नहीं गयी। अभियोजन का प्रारंभ से कथन है कि वह भागते समय विद्यालय की दीवार से टकराकर गिरा था। अभियुक्त को चोट आने की बात अभियोजन के कथानक में ही सम्मिलित होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पुलिस ने उसे थाने में ही पीटा था।

इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी। धारा 307 भा0दं0सं0 के लिए चोट लगना अनिवार्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति भीड़ और पुलिस कर्मियों की दिशा में निकट दूरी से आग्नेयास्त्र चलाता है, तो उसके कृत्य अपने आप में जीवन के लिए अत्यन्त घातक है। गोली का लक्ष्य से चूक जाना अथवा संयोगवश किसी को चोट न लगना अपराध की प्रकृति को समाप्त नहीं करता है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 की साक्ष्य अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 एवं पी0डब्लू0–3 से मूल तथ्य पर पूर्णतः मेल खाती है। इसके विरूद्ध व्यक्तिगत शत्रुता का कोई विश्वसनीय आधार सिद्ध नहीं किया गया। केवल यह कहना कि उसने शिकायत से नाराज होकर मुकदमा बनाया, पर्याप्त नहीं है। अतः इस साक्षी की साक्ष्य को अभियुक्त यशपाल नागर के जान से मारने हेतु फायर करने एवं तत्काल तमंचा व कारतूस की बरामदगी के संबंध में विश्वसनीय पाया जाता है।

27. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 सत्यवीर सिंह सेवानिवृत्त निरीक्षक मामले का विवेचक है। इस साक्षी ने साक्षियों के बयान दर्ज करने, घ टना का निरीक्षण करने, नक्शा नजरी तैयार करने, बरामद माल एवं संबंधित अभिलेखों की जांच करने और आरोप पत्र प्रेषित करने की कार्यवाही करते हुए नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, आरोप पत्र प्रदर्श क–5, अभियोग चलाने की जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्रदर्श क–6, आरोप पत्र प्रदर्श क–7 को साबित किया है। बचाव पक्ष ने विवेचना में कुछ पुलिस साक्षियों के बयान विलम्ब से दर्ज किये जाने, किसी स्वतंत्र ग्रामीण या मतदान कर्मचारी का बयान नहीं लिया जाना, अभियुक्त के हाथों का गनशॉट रेजीड्यू परीक्षण नहीं कराया जाना, गोली या प्रक्षेप्पीय बरामद न किया जाना, बेलिस्टिक परीक्षण का स्पष्ट साक्ष्य न प्राप्त किया जाना एवं घटना स्थल का निरीक्षण घटना के कुछ समय बाद किये जाने की कमियों को इंगित किया। न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत मामले की विवेचना अधिक वैज्ञानिक और व्यापक हो सकती थी, परन्तु आपराधिक विचारण में विवेचक की प्रत्येक त्रुटि का लाभ स्वतः अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। प्रश्न यह है कि क्या इन कमियों के बावजूद न्यायालय में प्रस्तुत प्रत्यक्ष एवं बरामदगी साक्ष्य विश्वसनीय है? प्रस्तुत मामले में तीन प्रत्यक्षदर्शी पुलिस कर्मियों ने घटना की मूल बात एक समान कही है। अभियुक्त यशपाल को मौके से पकड़ने और उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस मिलने की घटना इतनी निकट और निरन्तर है कि केवल वैज्ञानिक परीक्षण न होने से उसे काल्पनिक नहीं माना जा सकता। विवेचक की त्रुटि के कारण वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को समाप्त कर देना, न्याय के उद्देश्य के विपरीत है, जब तक कि बचाव पक्ष यह प्रदर्शित न कर दे कि त्रुटि जानबूझकर साक्ष्य गढ़ने या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के लिए की गयी थी, ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

28. बचाव साक्षी डी0डबलू0–1 यशपाल नागर ने स्वयं साक्ष्य देते हुए कहा कि वह मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बिगड़ने के कारण अतिरिक्त पुलिस बल मांगने थाना बादलपुर गया था, वहां प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने उसके साथ मारपीट की और उसे झूठा फंसा दिया। उसने फायर करने और तमंचा व कारतूस की बरामदगी से इंकार किया है।

यशपाल नागर का कथन मुख्यतः उसका अपना आत्मसमर्थक कथन है। इस कथन की पुष्टि के लिए थाने की कोई जी0डी0 प्रविष्टि, थाने पर उपस्थित कोई स्वतंत्र व्यक्ति, अतिरिक्त पुलिस बल मांगने की लिखित या दूरभाष सूचना, मोबाईल कॉल विवरण, चिकित्सीय साक्ष्य, जिससे पुलिस मारपीट प्रमाणित होती एवं किसी उच्च पुलिस अधिकारी को तत्काल दी गयी शिकायत विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत नहीं की गयी। यदि वह वास्तव में अतिरिक्त पुलिस बल मांगने थाने गया था, तो चुनाव जैसे संवेदनशील अवसर पर उसके थाने पहुंचने और पुलिस बल की मांग किये जाने का कोई न कोई आधिकारिक अथवा स्वतंत्र प्रमाण स्वभाविक रूप से उपलब्ध होता। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उसके चोटिल होने का तथ्य अभियोजन कथन के विपरीत नहीं है, क्योंकि अभियोजन ने स्पष्ट किया कि उसे भागते समय दीवार से टकराने से चोट आयी थी। अतः इस साक्षी डी0डब्लू0–1 का साक्ष्य अभियोजन के सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को निष्प्रभावी नहीं करता है।

29. बचाव साक्षी डी0डब्लू0–2 अजयपाल ने बचाव कथन का समर्थन किया कि विवाद मतदान केन्द्र के स्थान पर थान पर हुआ और बाद में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को झूठा फंसा दिया गया। वह स्वयं चुनाव प्रत्याशी एवं मुकदमे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति है। उसकी गवाही को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु उसका कथन किसी स्वतंत्र दस्तावेज या निष्पक्ष साक्षी से समर्थित नहीं है। यदि सभी अभियुक्तों को थाने पर बैठाकर झूठा मुकदमा बनाया गया होता, तो मतदान केन्द्र पर उपस्थित चुनाव अधिकारियों, कर्मचारियों या अनेक ग्रामीणों में से किसी को बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकता था कि वहां कोई फायर नहीं हुआ। बचाव पक्ष ने ऐसा कोई निष्पक्ष साक्षी प्रस्तुत नहीं किया। इस बचाव साक्षी डी0डब्लू0–2 का कथन एक सामान्य खण्डन है, जो अभियोजन के तीन प्रत्यक्षदर्शियों की विशिष्ट और परस्पर समर्थित गवाही से अधिक विश्वसनीय नहीं पाया जाता।

30. बचाव पक्ष के द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी महत्वपूर्ण साक्षी पुलिस कर्मी हैं और किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय इस सिद्धान्त से सहमत है कि जहां स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध हो, वहां उन्हें विवेचना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, परन्तु विधि में ऐसा कोई निरपेक्ष नियम नहीं है कि पुलिस कर्मी की गवाही पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। पुलिस साक्षी भी अन्य साक्षियों की तरह सक्षम साक्षी है, उसकी गवाही का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि उसका कथन स्वभाविक हो, मूल ध ाटना पर स्थिर हो, परस्पर सम्पुष्टिकारक हो, गम्भीर आंतरिक असंगतियों से मुक्त हो एवं परिस्थितियों से समर्थित हो, तो केवल स्वतंत्र साक्षी के अभाव में उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

31. प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1, पी0डब्ल0–2 एवं पी0डब्लू0–4 ने मुख्य तथ्यों घटना ग्राम कचैड़ा के मतदान केन्द्र के

निकट हुई, वहां चुनावी भीड़ और तनाव था, पुलिस द्वारा मतदाताओं पर दबाव न बनाने के लिए समझाया गया, यशपाल नागर ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया, यशपाल नागर ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर किया, फायर के बाद वह भागा, वह दीवार से टकराकर गिरा, पुलिस ने उसे मौके पर पकड़ लिया, उसके कब्जे से तमंचा और जीवित कारतूस मिला एवं तमंचे में चला हुआ खोखा कारतूस फंसा हुआ था, पर एक समान कथन किया है। इन मूल तथ्यों पर कोई ऐसा विरोधाभाष नहीं है, जो अभियोजन की नींव को प्रभावित करता हो। सील के अक्षर, दूरी के अनुमान अथवा घटना के कई वर्ष बाद कुछ गौण विवरणों में अंतर स्वाभाविक है।

32. बचाव पक्ष के द्वारा विशेष रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त यशपाल नागर के हाथों से बारूद के कण नहीं लिये गये, तमंचे का बेलिस्टिक परीक्षण प्रमाणित नहीं है और चली हुई गोली बरामद नहीं हुई। वैज्ञानिक साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि का एक साधन है। वह प्रत्येक मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का अनिवार्य विकल्प नहीं है। जहां अभियुक्त को घटना के तुरन्त बाद मौके पर पकड लिया जाये, उसके कब्जे से तमंचा मिले और तमंचे में चला हुआ खोखा फंसा हो, वहां प्रत्यक्ष बरामदगी स्वयं महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य पुष्टि प्रदान करती है। हाथों का स्वैब न लिया जाना विवेचना की कमी है, परन्तु इससे तीन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही स्वतः असत्य नहीं हो जाती। इसी प्रकार गोली खुले स्थान में चली होने, भगदड मचने और किसी व्यक्ति को न लगने पर उसका प्रक्षेप्य न मिलना कोई असम्भव परिस्थिति नहीं है। न्यायालय के मत में देशी तमंचे की फायरिंग में निशाना सटीक न होना सामान्य है। गोली का लक्ष्य चूक जाना अभियुक्त की मंशा को नहीं बदलता।

33. धारा 307 भा0दं0सं0 के अपराध का निर्धारण केवल चोट की प्रकृति पर नहीं, बल्कि अभियुक्त के आशय, ज्ञान, प्रयुक्त हथियार, कृत्य की प्रकृति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त यशपाल नागर ने पुलिस हस्तक्षेप से उत्तेजित होकर तमंचा निकाला, उसने पुलिस कर्मियों और वहां उपस्थित व्यक्तियों की दिशा में फायर किया। तमंचा स्वभावतः घातक आग्नेयास्त्र है, फायर ऐसे स्थान पर किया गया, जहां पुलिस कर्मी एवं जनता मौजूद थी। अभियुक्त यशपाल नागर को फायर के तुरन्त बाद मौके पर पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से वही तमंचा मिला, तमंचे की नाल में चला हुआ खोखा फंसा था और उसके पास एक अतिरिक्त जीवित कारतूस भी था।

इन परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त यशपाल नागर ने केवल धमकाने के लिए हथियार प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि वास्तव में तमंचे का ट्रिगर दबाकर फायर किया। किसी जीवित व्यक्ति की दिशा में आग्नेयास्त्र चलाने वाला व्यक्ति यह जानता है कि उसके इस कृत्य से मृत्यु हो सकती है। किसी व्यक्ति को चोट न लगना संयोग अथवा निशाना चूकने का परिणाम है। अभियुक्त का दायित्व उसके जानबूझकर किये गये घातक कृत्य से निर्धारित होगा, परिणाम की आकस्मिक अनुपस्थिति से नहीं।

अतः अभियुक्त यशपाल नागर का कृत्य धारा 307 भा0दं0सं0 के अंतर्गत हत्या के प्रयास की श्रेणी में आता है।

अभियुक्त यशपाल नागर को मौके से पकड़कर उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जीवित कारतूस व एक चला हुआ खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 उपनिरीक्षक वेदप्रकाश पंवार व पी0डब्लू0–4 निरीक्षक अमित कुमार ने एक समान रूप से कहा है कि मतदान केन्द्र के बाहर अभियुक्तगण प्रधान प्रत्याशी सुशील नागर व उसका भाई यशपाल नागर व दूसरा प्रधान प्रत्याशी अजयपाल व उसके समर्थक महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व उमेश नागर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए भयभीत और प्रभावित कर रहे थे। चुनाव में अनुचित प्रभाव का अपराध तभी स्थापित होता है, जब मतदाता की स्वतंत्र चुनावी इच्छा में हस्तक्षेप करने के लिए भय, दबाव, अथवा अनुचित साधन का प्रयोग किया जाये। यह सही है कि किसी विशेष मतदाता को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, किन्तु चुनाव ड्यूटी में उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने अपनी प्रत्यक्ष जानकारी से मतदाताओं को भयभीत किये जाने की गतिविधि देखी। वे इस परिस्थिति में निष्पक्ष सरकारी अधिकारी थे, जिनका कर्तव्य स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना था। उनके कथनों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रभावित मतदाता सामने नहीं आया। चुनावी वातावरण में स्थानीय मतदाता, राजनीति प्रतिशोध अथवा सामाजिक दबाव के कारण न्यायालय में आने से बच सकते हैं। जहां अभियोजन गवाह किसी विशिष्ट अभियुक्त की चुनावी दबाव में सक्रिय भूमिका स्पष्ट रूप से बताते हैं, वहां उस अभियुक्त के विरूद्ध धारा 171च भा0दं0सं0 का अपराध सिद्ध माना जा सकता है।

अभियुक्तगण सुशील नागर, यशपाल नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर के संयुक्त आचरण से मतदान केन्द्र के निकट तनाव और सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और अंततः फायर होने पर भगदड़ मची। चुनाव स्थल पर भय का वातावरण उत्पन्न करना, मतदताओं की स्वतंत्रता बाधित करना और पुलिस द्वारा समझाये जाने के बाद भी अव्यवस्था जारी रखना सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कृत्य है।

34. समस्त मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त यशपाल नागर द्वारा मतदान केन्द्र के निकट मतदाताओं को भयभीत और प्रभावित किया जाना, सार्वजनिक अव्यवस्था कारित करना, विधि विरूद्ध जमाव में भाग लिया जाना, उसका घातक आग्नेयास्त्र से सुसज्जित होना, उसके द्वारा पुलिस कर्मियों एवं उपस्थित व्यक्तियों की दिशा में जान से मारने की नीयत से फायर किया जाना, उसका मौके पर पकड़ लिया जाना और उसके कब्जे से बिना वैध लाईसेंस तमंचा, जीवित कारतूस एवं चला हुआ खोखा कारतूस बरामद किये जाने को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त यशपाल नागर के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147,148,171च व 307 भा0दं0सं0, धारा 07 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एवं धारा 25 आयुध अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

अतः अभियुक्त यशपाल नागर धारा 147,148,171च व 307 भा0दं0सं0, धारा 07 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

35. शेष अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर की मतदान केन्द्र पर सक्रिय उपस्थिति, मतदाताओं को धमकाने तथा पुलिस चेतावनी के बावजूद विधि विरूद्ध जमाव में बने रहने की भूमिका अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से सिद्ध है तथा अभियुक्तगण के संयुक्त आचरण से मतदान केन्द्र के निकट तनाव और सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, चुनाव स्थल पर भय का वातावरण उत्पन्न हुआ, मतदाताओं की स्वतंत्रता बाधित हुई। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147 व 171च भा0दं0सं0 तथा धारा 07 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

अतः अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147 व 171च भा0दं0सं0 तथा धारा 07 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

36. अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर के पास घातक हथियार होने का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अभियोजन पक्ष यशपाल नागर द्वारा किये गये फायर को अन्य अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर के सामान्य उद्देश्य या उनकी जानकारी में सम्भावित अपराध था, को अपेक्षित निश्चितता से प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 148 व 307/149 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 148 व 307/149 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

37. अभियुक्त यशपाल नागर को आरोप अन्तर्गत धारा 147,148,171च व 307 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 07 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एवं धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है।

38. अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर को आरोप अंतर्गत धारा 147 व 171च भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 07 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर को आरोप अंतर्गत धारा 148, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है।

39. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं, प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता हैं। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो।

दिनांक : 31.07.2026

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 31.07.2026

40. पत्रावली पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण यशपाल नागर, सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर की ओर से विद्वान अधिवक्तागण तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना।

41. अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया कि वे गरीब हैं। उनका परिवार उन पर आश्रित है। पत्रावली प्राचीन है। विगत 14 वर्षो से लम्बित है। वे पूर्व में भी उक्त मामले में कारागार में निरुद्ध रह चुके हैं। अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये अभियुक्तगण के परिवार की स्थिति व उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा–4 का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

42. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा बलवा कारित करते हुए पोलिंग बूथ पर मतदाताओं से अवैध वोट डलवाने का प्रयत्न किया गया, भय का माहौल पैदा किया गया तथा अभियुक्त यशपाल नागर द्वारा आग्नेयास्त्र तमंचे से पुलिस कर्मियों व उपस्थित व्यक्तियों की दिशा में जान से मारने की नियत से फायर किया गया है तथा पकड़े जाने पर अभियुक्त यशपाल नागर के कब्जे से बिना वैध लाईसेंस तमंचा, जीवित कारतूस एवं चला हुआ खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को विधि द्वारा प्राविधानित अधिकतम दण्डादेश दिये जाने की याचना की गयी हैं।

43. अभिलेखों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास सिद्ध नहीं है। अभियुक्तगण प्रथम अपराधी हैं। अपराध की प्रकृति, परिस्थितियां, अभियुक्तगण की आयु, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा उनकी सुधार की सम्भावना पर सम्यक विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत का है कि वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर को कारावास से दंडित किये जाने के स्थान पर परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा–4 का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा तथा अभियुक्त यशपाल नागर के द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उसे

परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा–4 का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

44. अतः मामले के तथ्यो, परिस्थितियों, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त यशपाल नागर को निम्न दण्ड से दण्डित किए जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी।

<u>दण्डादेश</u>

45. अभियुक्त यशपाल नागर को धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध हेतु 01 (एक) वर्ष के साधारण कारावास एवं अंकन 1000/–(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 10 (दस) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त यशपाल नागर को धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध हेतु 02 (दो) वर्ष के साधारण कारावास एवं अंकन 2000/–(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 20 (बीस) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त यशपाल नागर को धारा 171च भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध हेतु 06 (छः) माह के साधारण कारावास एवं अंकन 500/–(पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 05 (पांच) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त यशपाल नागर को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध हेतु 05 (पांच) वर्ष के साधारण कारावास एवं अंकन 5000/–(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 06 (छः) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त यशपाल नागर को धारा 07 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेन्ट एक्ट के दण्डनीय अपराध हेतु 03 (तीन) माह के साधारण कारावास एवं अंकन 300/–(तीन सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 02 (दो) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त यशपाल नागर को धारा 25 आयुध अधिनियम के दण्डनीय अपराध हेतु 01 (एक) वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

46. उपरोक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त यशपाल नागर द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में कारागार में बिताई गयी अवधि इस दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

47. अभियुक्त यशपाल नागर का सजायावी वारंट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार गौतमबुद्धनगर भेजा जाये।

48. अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर को निर्देशित किया जाता है कि वे अंकन 20–20

हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि का एक–एक प्रतिभू एक सप्ताह के अंदर इस आशय का नियमानुसार प्रस्तुत करेंगे कि वे एक वर्ष की अवधि तक सदाचार बनाये रखेंगे, शांति भंग नहीं करेंगे, कोई अपराध कारित नहीं करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर बंधपत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं अथवा कोई अन्य अपराध कारित करते हैं, तो उनके विरूद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा मूल अपराध के लिए दण्डादेश पारित किया जा सकेगा। अभियुक्तगण सुशील नागर, अजयपाल, महेन्द्र नागर, बिजेन्द्र, दीपक व भूमेश नागर को परिवीक्षा पर मुक्त किया जाता है।

49. वस्तु प्रदर्श तमंचा व खोखा कारतूस को अपील न होने पर बाद म्याद अपील नियमानुसार नष्ट किया जाये तथा जीवित कारतूस को राज्य सरकार के पक्ष में नियमानुसार जब्त किया जाये तथा अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारण किया जाये।

50. अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति अविलंब निःशुल्क प्रदान की जाये तथा साथ ही निर्णय की एक प्रति जेल अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर व एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को प्रेषित हो।

51. निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 167/2012 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक : 31.07.2026

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 31.07.2026

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.08.01 14:30:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court